यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 58 / 2022 प्रार्थनापत्र

कर लाल पुत्र श्री घीसा नाई आयु वयसक निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला

ीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

श्रीमती कंचन बाई पत्नी श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

2. कैलाश चन्द्र पुत्र श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

3. मुकेश कुमार पुत्र श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

4. महावीर कुमार पुत्र श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

5. राजेश कुमार पुत्र श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

6. विजय कुमार पुत्र श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

7. शंकर लाल पुत्र श्री हरकचन्द महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

8. सुनील कुमार पुत्र श्री मीठा लाल महाजन आयु वयस्क निवासी– बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) हाल अशोका रोड़, मैसूर (कर्नाटका)

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––––– विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक– 7/11/2022

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1155 मे आराजी नम्बर 3015 रकबा 0.3415 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि विनिमय से प्रार्थी को प्राप्त होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 3312 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 3014 की दक्षिणी पश्चिमी मेड के सहारे होकर प्रार्थी प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 3015 मे आते जाते है, जिससे प्रार्थी अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण उपस्थित नही हुए व प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 3015 दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 3014 विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। प्रार्थी के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 3014 मे से रकबा 0.0180 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षीगण को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 3015 मे आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नम्बर 3014 की दक्षिणी पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे 12 फीट चोडाई का रास्ता के रूप मे 0.0180 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 की सरहद बेमाली पटवार हल्का बेमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 3014 की दक्षिणी पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे 12 फीट चौडाई मे रास्ता के रूप मे 0.0180 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की आराजी नम्बर 3015 पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0180 हैक्टयर भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:03:59 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)